



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

दिनांक : एस.एस.वि.वि./सां. 336 /2020

दिनांक 18.03.2020

कार्यालय-आदेश

'कोरोना वायरस (COVID-19)' संक्रमण एक राष्ट्रीय ही नहीं बरन अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बन चुका है, जिसके निदान के साथ-साथ सावधानी बरतना अहम विषय है। विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में विभिन्न क्षेत्रों/भागों से काफी संख्या में छात्र/छात्राएं एकत्रित होकर अध्ययन करते हैं एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में प्रतिभाग करते हैं। इस संक्रमण से बचने हेतु सावधानी ही एक उपाय है। जिस हेतु शासन के पत्र संख्या-818/सत्तर-3-2020-08(20)/2020 दिनांक 13 मार्च, 2020 एवं संख्या-581/पांच-5-2020, चिकित्सानुभाग-5 दिनांक 17 मार्च, 2020 के द्वारा शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा निम्न निर्णय लिये गये हैं :-

1. विश्वविद्यालय में दिनांक 20, 21 एवं 22 मार्च, 2020 को सम्पन्न होने वाले शिक्षक चयन समितियों की बैठकें अग्रिम आदेशों तक के लिये स्थगित की जाती है। सम्बन्धित साक्षात्कार के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की नई तिथियों की सूचना अलग से प्रदान की जायेगी।
2. अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के स्वास्थ्य के दृष्टिगत दिनांक 02 अप्रैल, 2020 तक समस्त कक्षायें स्थगित की जाती हैं।
3. यथा सम्भव ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से बचा जाय जिनमें एक जगह अधिकाधिक संख्या में छात्र, छात्राओं के एकत्रित होने की सम्भावना हो।

इस पर कुलपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

सम्पूर्णानन्द मुद्रणार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. कुलसचिव, कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रतिकुलपति।
3. समस्त महायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
4. पुनयाध्यक्ष।
5. निदेशक, अनुसंधान/प्रकाशन संस्थान।
6. महायुक्त, आई.क्यू.ए.सी. सेल को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार स्थगन की सूचना प्रेषित/अवगत कराने का कष्ट करें।
7. विनयाधिकारी।
8. परीक्षा नियंत्रक।
9. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से कि विश्वविद्यालय वेब-साइट पर सूचना को अपलोड कराने का कष्ट करें।
10. आशुनिषिक्त, कुलसचिव/चित्त अधिकारी।
11. सहायक कुलसचिव (लेखा/परीक्षा/प्रशासन/सम्बद्धता)।
12. प्रम. व्यवस्थापक।
13. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)।
14. जनसम्पर्क अधिकारी को इस आशय से कि सम्बन्धित सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित करावें।
15. सम्पत्ति अधिकारी।
16. सुरक्षा अधिकारी।
17. उद्यान अधीक्षक।
18. समस्त विभागानुभाग।
19. समस्त मुद्रणपट्ट।
20. सम्बद्ध प्रभावती।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी